प्रकरण संख्या 377/10 ग्रा. पत्र

19-1-18 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों, दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की इस्तदआ की।

जबकि विपक्षीगण सं. 1 व 2 ने प्रार्थना पत्र के खण्डन में प्रस्तुत जवाब व दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने की इस्तदआ की।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया, तथा उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया। विवादित आराजियात ग्राम बीडड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित है जो कल्याण गिरी, गोपाल गिरी s/o शिव गिरी गुसाई के नाम दर्ज रेकार्ड है जिसकी ताईद प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी की नकल सम्वत 2018 से 2021 की होती है। मान्धू गिरी s/o कल्याण गिरी ने अपने खाते व हक की खाता की खसरा आराजी नं. 634 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा आदि का जरिये विक्रय पत्र के द्वारा रूपा s/o प्रताप खारोल को बेचान किया। जिसकी ताईद प्रस्तुत विक्रय पत्र की फोटो प्रति से होती है। जिसकी ताईद प्रस्तुत विक्रय पत्र के हाल नम्बर 1182 खसरा आराजी नं. 634 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा के हाल नम्बर 1182 कायम हुए। जिसकी ताईद प्रस्तुत मिलान रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा कायम हुए। जिसकी ताईद प्रस्तुत ~~मान्धू गिरी~~ क्षेत्रफल की फोटो प्रति से होती है। शंकर गिरी व कं० सुन्दर देवी मान्धू गिरी के हाल आराजी नं. 1182 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा व 2639/952 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा आदि में से 1/2 हिस्से का बेचान निहालसिंह s/o गोपाल सिंह राजपूत को बेचान किया। जिसकी ताईद प्रस्तुत विक्रय पत्र की फोटो प्रति से होती है। रूपा गिरी पत्र बाबत 25500/- रुपये की फोटो प्रति से होती है। जिसकी ताईद ग्राम पंचायत s/o गोकल गिरी लाडूलाल हेत हुये। जिसकी ताईद ग्राम पंचायत प्रमाण-पत्र की फोटो प्रति से होती है। प्रस्तुत दस्तावेजों व प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों से उक्त विवादित आराजियात में के वर्द प्रमाण में अंकित तथ्यों से इन्द्राज विवादित आराजियात में से किया गया। जो पंजीकृत विक्रय प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 14-6-1976 को किया गया। जो पंजीकृत विक्रय प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 14-6-1976 को, इसके बाद प्रार्थी द्वारा उक्त दस्तावेज की फोटो प्रति से होती है। इसके बाद प्रार्थी द्वारा उक्त दस्तावेज की फोटो प्रति के नामान्तरकरण बाबत कोई प्रार्थना द्वारा खरीद की गयी भूमि का नामान्तरकरण बाबत कोई प्रार्थना

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner

पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण ~~पूर्व~~. प्रार्थी के नाम दर्ज नहीं हुए।
गिरी s/o मान्धुगिरी व श्री कुन्दन बेचा मान्धुगिरी द्वारा पुनः बेचान
किया गया। जिसकी तारीख प्रस्तुत विक्रय पत्र भी पेश नहीं करने के कारण
क्योंकि विवादित काश्तकियात सर्वे श्री कल्याण गिरी, गोकुल गिरी व
गिरी पुजारी के नाम दर्ज रेकार्ड थी। गोकुल गिरी फोत हो जाने से
वारिस मनोज गिरी थे। वह भी ~~काश्तकार~~ लावल्द फोत हो गये। ~~गो~~
गिरी भी फौत हो गये। जिनके एक मात्र पुत्र मान्धु गिरी को ह~~ो~~
की खातेदार काश्त नं० 634 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा जरिये विक्रय
द्वारा दिनांक 14.6.1976 को खरीद की तब के प्रार्थी काबिज होकर
काश्त कर रहे है। विपक्षी क्रम 1 व 2 मान्धुगिरी के वारिसान है विपक्षी क्र.
द्वारा 1/2 हिस्से खड़सार शर्त का बेचान विपक्षी क्र 3 को कि
गया। जिसका विक्रय पत्र 1/2 हिस्से का किया गया। वह केवि.
काश्तकियात थी। इस कारण प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला
सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में न होकर विपक्षी के पक्ष में
क्योंकि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बेवजह विवाद होने के ~~कारण~~
पोषणीय नहीं है। मौके पर प्रार्थी का कोई कब्जा भी नहीं है।
तथ्य विपक्षी क्र. 1 व 2 ने अपने जवाब में अंकित तथ्यों के
उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र
सिद्ध करने में नाकामयाब रहने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज
जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आदेश ::

प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955 को सिद्ध करने में नाकामयाब र
प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली बैकम
जाकर मूल वाद के साथ शामिल की जावे।

उपखण्ड
भीलवा